अध्याय – 12

सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्रहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं –

जयपुर नगर निगम क्षेत्र में बी.पी.एल. सर्वे 2003 के अनुसार ''गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले'' परिवारों की कुल संख्या 26,127 है। जिन परिवारों की मासिक आय सभी स्रोतों से 465 रूपये 92 पैसे है उन्हें ही बी.पी.एल. की श्रेणी में लिये जाने का प्रावधान है। जयपुर नगर निगम में कुल 77 वार्ड हैं। निगम द्वारा **स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजनाओं** में निम्न योजनायें संचालित की जा रही है। इन योजनाओं में खर्च होने वाली राशि 75–25 प्रतिशत के रेशो में केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा प्राप्त होती है।

1. **शहरी रोजगार कार्यक्रम** – इस योजना के तहत् चयनित परिवारों को जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच हो उन्हें स्व रोजगार हेतु रूपये 50,000/–रूपये तक का ऋण बैंकों से मुहैया करवाया जाता है। निगम द्वारा ऋण के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच कर आवेदन पत्रों को बैंकों को भेजे जाते हैं। बैंकों से ऋण स्वीकृत होने पर निगम द्वारा अनुदान राशि 15 प्रतिशत या 7,500/– रूपये जो भी कम हो प्रदान की जाती है। नई गाईड लाइनानुसार उक्त कार्यक्रम के तहत 200,000/–रूपये तक का ऋण स्वीकृत किये जाने तथा अनुदान राशि 25 प्रतिशत दिये जाने के निर्देश हैं। वित्तीय वर्ष 2009–10 में राज्य सरकार से प्राप्त कुल लक्ष्य 811 के विरूद्ध 275 को लाभान्वित किया गया, जिसकी इस योजना में कुल रूपये 3,81,000/– अनुदान राशि जारी की गई। वित्तीय वर्ष 2010–11 में कुंल 487 प्राप्त लक्ष्यों के विरूद्ध 99 फार्म बैंक में भेज दिये गये हैं, जिनमें 27 स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, जिसकी अनुदान राशि 1,42,226/–निगम द्वारा जारी कर दी गई है।

2. **पोप एवं शहरी पोप योजना कार्यक्रम** –इस योजना के अन्तर्गत जयपुर नगर निगम क्षेत्र में निवास करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के नागरिक जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष के बीच है, को अपना व्यवसाय चलाने हेतु 1 लाख रूपये तक की आर्थिक सहायता ऋण के रूप में प्रदान की जाती है। शहरी पोप योजना में आवेदक की शैक्षणिक योग्यता 5वीं पास होना आवश्यक है, इस पर 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय है। इस योजना में लाभ लेने वाले नागरिकों द्वारा नगर निगम जयपुर में आवेदन पत्र भरवाये जाते हैं, जिन्हें जॉच कर सम्बन्धित बैंकों को प्रेषित कर दिये जाते हैं। ऋण स्वीकृत होने पर अनुदान राशि राजस्थान अनुसूचित जाति/जन जाति विकास निगम लिमिटेड द्वारा जारी की जाती है, जिसकी अधिकतम सीमा 10,000/–रूपये हैं। वित्तीय वर्ष 2009–10 में निगम द्वारा इस योजना में कुल 67 व्यक्तियों को लाभान्वित कराया गया। वित्तीय वर्ष 2010–11 का लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, फिर भी निगम द्वारा 45 फार्म बैंकों को भेज दिये गये है, जिनकी 10 स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है जिन्हें अनुसूचित जाति विकास निगम को भेज दी गई है।

3. **शहरी रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम** –इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बी.पी.एल. परिवारों के सदस्य जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष के बीच हो को अपना रोजगार चलाने हेतु प्रशिक्षित किया जाता है। प्रशिक्षण के लक्ष्य राज्य सरकार द्वारा भेजे जाते हैं। लक्ष्यानुसार प्रशिक्षण एन.जी. ओ. के माध्यम से दिलाया जाता है। प्रशिक्षण के पश्चात् उन्हें अपना रोजगार स्थापित करने हेतु नियमानुसार बैंकों से ऋण दिलाया जाता है। इस वर्ष बी.पी.एल. परिवारों के योग्य

युवकों/युवतियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिलवाया जावेगा। जैसे कम्प्यूटर ट्रेनिंग, मोबाईल रिपेयर ट्रेनिंग, आर्चिटेक्ट ट्रेनिंग, सिलाई कला, आरातारी, कशीदाकारी आदि, जिससे वे अपने पैरों पर खड़े होकर जीवन यापन कर सकें। स्वयंसेवी संस्थाओं को मान्यता जिला कलेक्ट्रेट से डूडा की मीटिंग में मान्यता के बाद ही डी.पी.ओ. जयपुर के निर्देशानुसार प्रशिक्षण प्रारम्भ कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2009–10 में उक्त योजनान्तर्गत बी.पी.एल. में पात्र व्यक्तियों (स्त्री/पुरूष) को प्रशिक्षित करने के 595 के लक्ष्य राज्य सरकार से प्राप्त हुए थे। जिला परियोजना अधिकारी जयपुर के निर्देशानुसार समय पर प्रशिक्षण प्रारम्भ करवा दिया गया था, किन्तु प्रशिक्षण प्रारम्भ के एक माह बाद ही जिला परियोजना अधिकारी, जयपुर ने जिला कलक्टर, जयपुर के निर्देशानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम अपरिहार्य कारणों से बन्द करवा दिया गया था, जिसका स्वयंसेवी संस्थाओं को एक माह का प्रशिक्षण काल का भुगतान निगम द्वारा किया जाना शेष है। श्रीमान् जिला परियोजना अधिकारी, जयपुर के आदेशानुसार वित्तीय वर्ष 2010–11 में प्राप्त कुल 594 के लक्ष्य के विरूद्ध दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से सार्वजनिक सूचना प्रसारित कर 45 स्वयंसेवी संस्थाओं को पात्र मानते हुए डूडा की बैठक में अनुमोदनार्थ भेज दिया गया है। अनुमोदित स्वयंसेवी संस्थाओं को निगम द्वारा नियमानुसार लक्ष्य का बंटवारा किया जावेगा।

4. **बालिका समृद्धि योजना** – इस योजना के तहत् बी.पी.एल. परिवारों की महिलाओं को दि. 15.08.1997 के बाद प्रथम 2 जीवित बालिकाओं के जन्म पर 500/–रूपये प्रत्येक को देय है। निगम द्वारा उक्त राशि की एफ0डी0आर0 जन्म लेने वाली बालिकाओं की मॉ के नाम से करवाकर दी जाती है। जिससे लड़की की विवाह योग्य उम्र होने पर आर्थिक सम्भल परिवार को मिल सके। इस योजना में 31 मार्च 2010 तक कुल 203 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया। जिन बालिकाओं की एफ0डी0आर0/ एन0एस0सी0 परिपक्व हो चुकी है उन्हें आगे अवधि बढाये जाने हेतु परिजनों को पत्र लिख दिये गये है। बजट हेतु श्रीमान् परियोजना निदेशक स्थानी निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को पत्र लिखा गया है।

5. **अन्त्योदय योजना** – इस योजना के अन्तर्गत बी.पी.एल. चयनित परिवारों में से अन्त्योदय योजना में चयन हेतु एक कमेटी गठित कर या सम्बन्धित पार्षद की सिफारिश के आधार पर चयन किया जाता है। चयनित परिवारों के आवेदन पत्र जिला रसद अधिकारी को प्रेषित कर दिये जाते हैं, जहॉ से अन्त्योदय राशन कार्ड जारी किये जाने पर उन्हें 2/–रूपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से राशन की दुकान से प्रतिवर्ष खद्यान देय है। इस योजना में 31 मार्च 2010 तक कुल 1437 पात्रों का चयन कर राशन कार्ड जारी करने हेतु जिला रसद अधिकारी जयपुर को सूची भेजी गई।

6. **अन्नपूर्णा योजना** – अप्रेल 2000 से प्रारम्भ केन्द्र सरकार का योजना अन्नपूर्णा के अन्तर्गत 65 वर्ष या इससे अधिक आयु के वृद्ध जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेन्शन या राज्य पेन्शन योजना के अन्तर्गत कोई पेन्शन प्राप्त नहीं कर रहे हैं, निराश्रित एवं उनके कोई आय का स्रोत नहीं है। ऐसे वृद्ध नागरिकों को 10 किलोग्राम खाद्यान प्रतिमाह निःशुल्क राशन की दुकानों से उपलब्ध कराया जाता है। अन्नपूर्णा योजना के राशन कार्ड जिला रसद अधिकारी के यहॉ से जारी किये जाते हैं। इस योजना में 31 मार्च 2010 तक कुल 1166 पात्रों का चयन कर राशन कार्ड जारी करने हेतु जिला रसद अधिकाारी, जयपुर को सूचना भेजी गई।

7. **राष्ट्रीय वृद्धावस्था/विधवा/विकलांग पेंशन योजनायें** – इस योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के अन्तर्गत जिन नागरिकों की आयु 65 वर्ष या उससे अधिक है, को 400/–रूपये प्रतिमाह देय है। पात्र नागरिक के परिवार में कोई कमाऊ सदस्य नहीं होना चाहिए।

विधवा पेन्शन 18 या इससे अधिक आयु की विधवाओं को नियमानुसार देय है। विकलांग पेंशन हेतु 18 या इससे अधिक के विकलांगों को भी नियमानुसार देय है। इसके लिये निगम द्वारा पात्र नागरिकों से आवेदन पत्र भरवाकर लिये जाते हैं। प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच कर उप जिला कलेक्टर को प्रेषित कर दिये जाते हैं। उप जिला कलेक्टर के यहॉ से उन्हें पेन्शन स्वीकृत की जाती है। 31 मार्च 2008 तक निगम द्वारा कुल 142 फार्म उप जिला कलेक्टर, जयपुर को भेजे गये हैं। इसके बाद उक्त फार्म सीधे ही जिला कलेक्टर या समाज कल्याण विभाग, जयपुर द्वारा स्वीकार किये जाते हैं।

8. **स्वयं सहायता समूह** – बी.पी.एल. परिवार की महिलायें मिलकर एक समूह बनाती हैं। समूह बैंक में एक खाता खोलकर अपना कारोबार करते हैं। खाता एक वर्ष तक लगातार चलने पर निगम द्वारा उनको समूह चलाने हेतु 1000/–रूपये प्रति सदस्य के हिसाब से सब्सिडी जारी करती है, जो उनके खाते में जमा कराई जाती है। समूह द्वारा एक प्रोजेक्ट बनाकर दिया जाता है, जिसका अवलोकन कर निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर बैंक से ऋण स्वीकृत कराया जाता है, जिसकी अधिकतम सब्सिडी 1.25 लाख रूपये होती है। वर्तमान में दो समूह संचालित हैं, जिन्हें निगम द्वारा 1000/–प्रत्येक महिला को अनुदान राशि दी जानी हे।

9. **जन चेतना एवं मेडिकल शिविर** – समय–समय पर निगम द्वारा बी.पी.एल. एवं अन्य गरीब परिवारों को बस्तियों में शिविर लगाकर लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है। इसी प्रकार उक्त बस्तियों में निगम द्वारा निःशुल्क इलाज एवं दवाईयॉ वितरित करने हेतु समय–समय पर शिविर लगाये जाते हैं। पिछले वित्तीय वर्ष 2009–10 में उक्त शिविर जिला परियोजना अधिकारी, जयपुर से निर्देश प्राप्त नहीं होने के कारण नहीं लगाये गये। वित्तीय वर्ष 2010–11 के लक्ष्यों में कुल 14–14 प्राप्त हुए हैं, जिन्हें समय पर सम्पन्न कराये जावेंगे।

10. **मेडिकल सुविधायें** – जयपुर नगर निगम क्षेत्र में बी.पी.एल. सर्वे 2003 के अनुसार चयनित व्यक्तियों को सरकार द्वारा निःशुल्क चिकित्सा सुविधायें देय है। इसके लिए निगम द्वारा ''मेडिकेयर कार्ड'' जारी किये जाते हैं मेडिकेयर कार्ड निगम में स्थित 8 जोनों द्वारा अपने–अपने क्षेत्र में बी.पी.एल. परिवारों को नियमानुसार जारी किये जाते है।

11. **पन्नाधाय बीमा योजना** – राज्य सरकार द्वारा हाल ही में 14 अगस्त 2006 से यह योजना लागू की गई है। जिसे ''जनश्री बीमा योजना'' का नाम दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत बी.पी.एल. सर्वे 2003 के अनुसार चयनित परिवारों के मुखिया जिसकी आयु 59 वर्ष से कम हो का बीमा किया जावेगा। इस योजना के अन्तर्गत परिवार के मुखिया की साधारण मृत्यु होने पर 30,000/–रूपये व दुर्घटना से मृत्यु होने पर 75,000/–रूपये दिये जाने का प्रावधान है। शारीरिक अपंगता होने पर भी राशि भुगतान का प्रावधान है। इस योजना में बीमित सदस्य के 2 बच्चों को कक्षा 9 से 12 तक 100/–रूपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति भी देय है। वित्तीय वर्ष 2009–10 में कुल 81 दावा फार्म एल.आई.सी. को भेजे

गये। वित्तीय वर्ष 2009–10 में कुल 470 दात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति के पेटे एल.आई.सी. से उक्त योजना में कुल राशि 4,62,000/– प्राप्त हुई है, जिसे निगम कोष में जमा करवा दिया गया है। बजट प्रावधान के अभाव में छात्र/छात्राओं को राशि वितरण नहीं की गई थी, अब आदेश प्राप्त होने पर चैक तैयार करवा कर एरिया प्रधानों को वितरण हेतु भेज दिये गये है।

12. **अक्षय कलेवा** – रिक्शा चालकों, गरीब लोगों को कम से कम दिन में एक समय भरपेट भोजन मिले, इस हेतु जयपुर शहर के 30 केन्द्रों पर नगर निगम द्वारा अक्षय पात्र फाउण्ऊेशन के सहयोग से प्रतिदिन सांय 7.00 बजे से 8.00 बजे तक 5.00 रूपये में व्यक्ति को भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना में हितग्राही से 5.00 रूपये लिये जाते हैं। दो रूपये प्रति व्यक्ति नगर निगम द्वारा अनुदान अक्षय पात्र फाउण्डेशन को दिया जाता है। भोजन की लागत में शेष कमी पूर्ति अक्षय पात्र फाउण्डेशन द्वारा वहन की जाती है। नगर निगम द्वारा अक्षय कलेवा वितरण केन्द्रों के संधारण की व्यवस्था की जाती है।